

एज्यों में कोई भी निवेश न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न एज्यों में यदि कोई निवेश किया गया है तो उसकी एज्य-वार मात्रा कितनी-कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) जी हाँ चूँकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जुटाये गये संसाधनों को इक्विटी, ऋण पत्रों, ऋणों, कम्पनियों की जमा राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार निवेशों जैसी विभिन्न योजनाओं में निवेश किया जाता है, इसलिए किसी एज्य विशेष के सम्बंध में निवेश का पता नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु नियम

161. चौधरी हरमोहन सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का ब्यौप क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन नियमों का अनुपालन न किये जाने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अन्तर्गत उन नियमों और विनियमों को अधिसूचित करना अपेक्षित है जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए कार्यान्वित किए जाते हैं, अर्थात् जिनका उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने

और विनियमन करने के लिए है। अभी तक, स्टॉक दलालों और उप-दलालों और इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधी नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों और विनियमों की मंशा छोटे और बड़े दोनों प्रकार के निवेशकों के हितों की रक्षा करना भी है। इन विनियमों में स्टॉक दलालों के लिए जो आचार-संहिता निर्धारित की गई है, उसमें छोटे निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने का विशेष प्रावधान है। इस आचार-संहिता के अन्तर्गत, स्टॉक दलालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे छोटे निवेशकों के साथ केवल क्रमेण्वार की मात्रा के आधार पर लेन-देन करने से मना न करें।

(ख) सरकार को अभी तक सेबी, अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन न करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश को दी गयी वित्तीय सहायता

162. चौधरी हरमोहन सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम किन-किन परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

(लाख रु०)

दी गई सहायता का स्वरूप	वर्ष-वार राशि		
	1989-90	1990-91	1991-92
1. राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	3156.37	3800.00	5500.00
2. भूमि विकास बैंक ऋणपत्र	75.00	—	30.00
3. राज्य वित्त निगम के बाण्ड और शेयर	—	200.00	100.00